भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 808**

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

**उन्नत प्रौद्योगिकी वाहनों की साइबर सुरक्षा**

†808. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहनों और वाहन सॉफ्टवेयर प्रणालियों से जुड़े साइबर हमलों, मालवेयर, अनधिकृत पहुंच और अन्य साइबर सुरक्षा घटनाओं का देश भर में रिपोर्ट किया गया ब्यौरा क्या है;

(ख) तकनीकी रूप से उन्नत वाहनों में साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली मौजूदा विनियामक रूपरेखा का ब्यौरा क्या है, जिसके अंतर्गत कवर किए गए वाहनों की श्रेणियां और निर्धारित मानक शामिल हैं;

(ग) क्या वाहन सॉफ्टवेयर प्रणालियों, जिसमें बैटरी प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं, को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए मौजूदा रूपरेखा में किन्हीं कमियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं;

(घ) वाहन साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रणालियों के परीक्षण, प्रमाणन, निगरानी और प्रवर्तन के लिए तंत्र क्या है और इसके लिए कौन-सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं; और

(ङ) भारत के वाहन साइबर सुरक्षा मानकों को लागू अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप बनाने तथा कनेक्टेड और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले वाहनों में साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा) से संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट मिली है। यह बताया गया है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बीएमएस मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके अनधिकृत व्यक्ति चलते हुए ई-रिक्शा को अचानक बंद कर सकते हैं।

सीईआरटी-इन ने उन मोबाइल ऐप्स की पहचान की है जिनका उपयोग ई-रिक्शा की बैटरी को अचानक बंद करने के लिए किया जा सकता है और एमईआईटीवाई को इन ऐप्स को एप्लिकेशन प्ले स्टोर से हटाने के लिए सूचित किया है।

(ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 503(अ) दिनांक 17 जून, 2026 के माध्यम से टिप्पणियां और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए, एआईएस-189 और एआईएस-190 के अनुसार, श्रेणी एल, एम और एन के वाहनों के संबंध में साइबर सुरक्षा के बारे में मंजूरी हेतु मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं।

(ग) और (ङ) राष्ट्रीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नियामक ढांचे के साथ सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से, साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) पर **संयुक्त राष्ट्र विनियमन संख्या 155** और सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रबंधन प्रणाली (एसयूएमएस) पर **संयुक्त राष्ट्र विनियमन संख्या 156** के प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित किया गया और साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) के संबंध में वाहनों की स्वीकृति शीर्षक से एआईएस-189 और सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रबंधन प्रणाली (एसयूएमएस) के संबंध में वाहनों की स्वीकृति शीर्षक से एआईएस-190 को साइबर सुरक्षा और ओवर-द-एयर (ओटीए) सॉफ्टवेयर अपडेट के संबंध में मोटर वाहनों की स्वीकृति के लिए तकनीकी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को स्थापित करने के लिए तैयार किया गया।

(घ) केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर) 1989 का नियम 126 यह अधिदेशित करता है कि प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता या आयातक, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसी को प्रोटोटाइप प्रस्तुत करेगा। परीक्षण एजेंसी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सीएमवीआर, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए एक टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी करती है।

*****